A 4/7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 71/2021

राजेश पुत्र बजरंगलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम रसोडा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ आदेश बअदालत नायब तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी सरकार बनाम राजेश, मुकदमा नं0 11/21 आदेश दिनांक 27.07.2021

––

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र बुडानिया, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 06.12.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार मण्डावा के निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नं0 183 कुल रकबा 12.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बणी सरहद ग्राम रसोडा, तहसील झुंझुनूं में से रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 25 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील अपीलान्ट की ओर से नीचे लिखे अनुसार पेश की जा रही है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 29.06.2021 को एक पक्षीय रूप से अपीलान्ट की गैर हाजरी में तैयार कर प्रस्तुत हुई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 29.06.2021 में नाजायज कब्जा के कॉलम में तारबंदी करने का तथ्य अंकित कर पटवारी हल्का द्वारा अस्पष्ट व संदिग्ध रिपोर्ट पेश हुई है। पटवारी हल्का द्वारा तारबंदी किये जाने के सम्बन्ध में विशेष तथ्य व तारबंदी किस बाबत की गयी है, उक्त तथ्य दर्ज नही कर अपूर्ण रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत होने के बाबजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व गलत रूप से प्रकरण दर्ज कर आदेश जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की गई है। लोक डाउन अवधि में अपीलान्ट की पर्याप्त तामिल हुये बिना व अपीलान्ट को कानूनी सलाह से वंचित किया जाकर प्रकरण में जबाब व दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा आबादी भूमि में स्वयं के आवासीय मकान व बाडा की सुरक्षा के लिये तारबन्दी कर रखी है। उक्त तारबन्दी खसरा नं0 183 व आबादी भूमि की सीमा पर है। खसरा नं0 183 व आबादी भूमि के सीमा के बिन्दू के विवाद को नजरंदाज कर अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर बहस पारित किया गया है। आदेश जैर बहस स्पीकिग नही है। आदेश जैर बहस के आधार मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित

भी नही की गई है। अपीलान्ट ने स्वयं के आबादी भूमि में स्थित बाडा व मकानात की सुरक्षा के लिए तारबंदी कर रखी है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व से रही सीमा पर ही तारबन्दी की गयी है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट की मौजूदगी में पटवारी हल्का ने तथाकथित अतिक्रमण स्थल का कोई नाप नही किया है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश जैर बहस दिनांक 27.07.2021 को अस्पात किया जावे। अपीलान्ट विकल्प में यह निवेदन भी करता है कि अदालत मातहत को आदेश दिया जावे कि अपीलान्ट के आबादी भूमि में स्थित बाडा व मकानात की आबादी भूमि व खसरा नम्बर 183 के मध्य की सीमा का अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर अपीलान्ट को सीमा ज्ञान की प्रति देकर सूचित किया जावे जिससे अपीलान्ट मुताबिक सीमा ज्ञान रिपोर्ट व नपति के आधार पर तारबंदी कर सके।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 29.06.2021 को एक पक्षीय रूप से अपीलान्ट की गैर हाजरी में तैयार कर प्रस्तुत हुई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 29.06.2021 में नाजायज कब्जा के कॉलम में तारबंदी करने का तथ्य अंकित कर पटवारी हल्का द्वारा अस्पष्ट व संदिग्ध रिपोर्ट पेश हुई है। पटवारी हल्का द्वारा तारबंदी किये जाने के सम्बन्ध में विशेष तथ्य व तारबंदी किस बाबत की गयी है, उक्त तथ्य दर्ज नही कर अपूर्ण रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत होने के बाबजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण दर्ज कर आदेश जैर बहस पारित किया है। लोक डाउन अवधि में अपीलान्ट की पर्याप्त तामिल हुये बिना व अपीलान्ट को कानूनी सलाह से वंचित किया जाकर प्रकरण में जबाव व दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा आबादी भूमि में स्वयं के आवासीय मकान व बाडा की सुरक्षा के लिये तारबन्दी कर रखी है। उक्त तारबन्दी खसरा नं0 183 व आबादी भूमि की सीमा पर है। खसरा नं0 183 व आबादी भूमि के सीमा के बिन्दू के विवाद को नजरंदाज कर अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर बहस पारित किया गया है। आदेश जैर बहस स्पीकिग नही है। आदेश जैर बहस के आधार मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित भी नही की गई है। अपीलान्ट ने स्वयं के आबादी भूमि में स्थित बाडा व मकानात की सुरक्षा के लिए तारबंदी कर रखी है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व से रही सीमा पर ही तारबन्दी की गयी है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत में उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट की मौजूदगी में पटवारी हल्का ने तथाकथित अतिक्रमण स्थल का कोई नाप नही किया है। तथाकथित नाप एकपक्षीय है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत के आदेश जैर बहस दिनांक 27.07.2021 को अस्पात किया जावे। अपीलान्ट विकल्प में यह निवेदन भी करता है कि अदालत मातहत को आदेश दिया जावे कि अपीलान्ट के आबादी भूमि में स्थित बाडा व मकानात की आबादी भूमि व खसरा नम्बर 183 के मध्य की सीमा का अपीलान्ट की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर अपीलान्ट को सीमा ज्ञान की प्रति देकर सूचित किया जावे जिससे अपीलान्ट मुताबिक सीमा ज्ञान रिपोर्ट व नपति के आधार पर तारबंदी कर सके।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम रसोडा स्थित विवादित भूमि ख0न0 183 रकबा 12.07 है0 किस्म गै0मु0 बणी मे से 0.10 हैक्टर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत मे अतिक्रमण हटा लेने के संबंध मे स्वयं स्वाकारोक्ति दी है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रसोड़ा स्थित भूमि खसरा नम्बर 183 कुल रकबा 12.07 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बणी में से 0.10 हैक्टर पर अतिक्रमी माना है। इस संबंध में अपीलान्ट का तर्क यह रहा है कि अपीलान्ट द्वारा आवासीय मकान व बाड़ा की सुरक्षा हेतु तारबन्दी की है जो खसरा नम्बर 183 व आबादी की सीमा पर की गई है। अपीलान्ट ने अपने इस तर्क में न तो अंकित किया है और न बताया है कि की उसका आवासीय मकान व बाड़ा किसी खसरा में स्थित है, आबादी व गैर मुमकीन बणी के कौनसी सीमा की तरफ अपीलान्ट द्वारा तारबन्दी की गई है तथा न ही अपीलान्ट द्वारा अपने तर्को के समर्थन में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसे में हम अपीलान्ट के तर्को से सहमत नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से निर्णय पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू
06/12/21